न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 04 / 2021

बउनवान

1. मुकुट बिहारी पुत्र श्री नाथूलाल आयु 63 वर्ष जति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
2. सत्यनारायण पुत्र श्री नाथूलाल आयु 66 वर्ष जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील अन्ता हाल निवासी सरस्वती नगर कोटा–बारां रोड़, अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. कैलाशबाई बेवा नाथूलाल उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील अन्ता
2. प्रेमशंकर पुत्र नाथूलाल उम्र 57 वर्ष जाति जाट निवासी म.नं. 3–सी–3, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा जिला कोटा (राज0)
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र नाथूलाल उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी कैलाश की बाड़ी, पुलिस थाने के सामने, अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
4. रामस्वरूप पुत्र नाथूलाल उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी म.नं. 17, केशवपुरा सेक्टर–7 कोटा जिला कोटा (राज0)
5. प्रेमबाई उम्र 61 वर्ष पुत्री श्री नाथूलाल पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी 2–टी–17, तलवंडी, कोटा जिला कोटा (राज0)

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

न्याया. उपखण्ड अधिकारी अंता में जैरकार वाद संख्या 146 / 2016 व प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. बउनवान मुकदमा कैलाशी बाई वगै.बनाम मुकुट बिहारी वगैरह के अंतरण बाबत

(प्रार्थीगण)

उपस्थिति :–1. श्री हरिओम चतुर्वेदी, अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 1 ता 3)**

2. श्री धनश्याम गर्ग, अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 4)**

3. श्री राजेश गुप्ता, अभिभाषक

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:13:20 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक– 20.09.2021

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार 1– कि अप्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता में प्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद बउनव कैलाशीबाई वगैरह बनाम मुकुट बिहारी वगैरह अन्तर्गत धारा 90,188 आर.टी.एक्ट व संख्या 146 / 2016 व धारा 212 आर.टी.एक्ट का एक रिसीवर प्रार्थना पत्र संख्या /20 पेश किया था जिसमें आगामी तारीख पेशी 07.07.2021 नियत है। अप्रार्थी कम 3 व 4 पेशे वकील हैं, नरेन्द्र कुमार अन्ता में वकालत करता है व रामस्वरूप कोटा में वकालत करता नरेन्द्र कुमार एडवोकेट अभिभाषक परिषद अन्ता का सदस्य है। अभिभाषक परिषद् अन्ता

सभी अधिवक्ताओं ने नरेन्द्र कुमार एडवोकेट के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय एस.डी.ओ. में लम्बित वद संख्या 146/2016 एवं धारा 212 आर.टी.एक्ट के रिसीवर प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के विरूद्ध पैरवी न करने का सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है। प्रार्थीगण ने उक्त वाद व प्रार्थना पत्र में अपने पक्ष में पैरवी करने हेतु राजस्व के जानकार अन्ता के अधिवक्ताओं से सम्पर्क किया। इसपर उन्होने पैरवी करने से साफ मना कर दिया कि अभिभाषक परिषद अन्ता के सदस्य अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार एडवोकेट के विरूद्ध पैरवी न करने बाबत सर्वसम्मति से निर्णय लिया हुआ है। न्यायालय एस.डी.ओ.अन्ता में लम्बित उक्त प्रकरण में अन्ता के अभिभाषकों द्वारा पैरवी न किये जाने से प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में अपना पक्ष समर्थन विधि पूर्वक करने में असमर्थ होने से न्याय प्राप्त करने में वंचित हो रहे हैं। इस कारण प्रार्थीगण उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र को न्यायालय एस.डी.एम. अन्ता से जिले के अन्य समकक्ष न्यायालय में अन्तरित करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में कुशल अधिवक्ता द्वारा पैरवी नही किये जाने से प्रार्थीगण के साम्पत्तिक अधिकार प्रभावित होंगे एवं प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण न्यायालय एस.डी.एम. अन्ता में लम्बित उक्त वाद संख्या 146/2016 एवं रिसीवर प्रार्थना पत्र को जिले के अन्य समकक्ष न्यायालय में अन्तरित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा पीठासीन अधिकारी एस.डी.ओ. अन्ता को प्रार्थना पत्र मेमो की प्रति भेजकर बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब मय मूल रिकार्ड मंगवाया गया।

अप्रार्थी कम 1 ता 4 जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित हुये तथा उपखण्ड अधिका[illegible] न्यायालय अन्ता से मूल रिकार्ड प्राप्त हुआ तथा बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब प्राप्त न[illegible] हुआ। अप्रार्थिया कम 5 को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया परन्तु अप्रार्थिया उपस्थि[illegible] नहीं हुई।

उपस्थित अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया तथा सीधे [illegible] करना चाहा। प्रार्थी[illegible] एवं अप्रार्थी कम 4 के अधिवक्ताओं ने पृथक पृथक फर्द के दस्तावेज पेश किये जो शामिल [illegible] किये गये। [illegible] अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थी हमने बहस [illegible] दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी कम 3 व 4 पेशे से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी कम 3 व 4 पेशे से [illegible] हैं, नरेन्द्र कुमार अन्ता में वकालत करता है व रामस्वरूप कोटा में वकालत करता है [illegible] कुमार एडवोकेट अभिभाषक परिषद अन्ता का सदस्य है। अभिभाषक परिषद् अन्ता [illegible] अधिवक्ताओं ने नरेन्द्र कुमार एडवोकेट के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय एस.डी.ओ. में ल[illegible] संख्या 146/2016 एवं धारा 212 आर.टी.एक्ट के रिसीवर प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण [illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध पैरवी न करने का सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है। न्यायालय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:13:20 IST
Reason: SelfAttested

अन्ता में लम्बित उक्त प्रकरण में अन्ता के अभिभाषकों द्वारा पैरवी न किये जाने से प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में अपना पक्ष समर्थन विधि पूर्वक करने में असमर्थ होने से न्याय प्राप्त करने में वंचित हो रहे हैं। उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में कुशल अधिवक्ता द्वारा पैरवी नही किये जाने से प्रार्थीगण के साम्पत्तिक अधिकार प्रभावित होंगे एवं प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण न्यायालय एस.डी.एम. अन्ता में लम्बित उक्त वाद संख्या 146/2016 एवं रीसिवर प्रार्थना पत्र को जिले के अन्य समकक्ष न्यायालय में अन्तरित किये जाने के आदेश प्रदान करें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक प्रार्थीगण ने विधि दृष्टांत 2018(2)CJ(Civ.)(SC) पृष्ठ संख्या 559–564 की छायाप्रति पेश की।

विद्वान अभिभाषकगण अप्रार्थी कम 1 ता 3 एवं अप्रार्थी कम 4 ने संयुक्त रूप से दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण ने अन्ता के किसी भी अभिभाषक से कोई सम्पर्क नहीं किया गया है तथा जैरकार वाद को विलम्बित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अधिवक्ता नियुक्त किये जाने में प्रार्थीगण को कोई परेशानी नहीं है एक अन्य प्रकरण बउनवान नरेन्द्र कुमार बनाम सत्यनारायण वगैरह में पैरवी करने हेतु प्रार्थीगण की ओर से बारां से अधिवक्ता बुलाये गये हैं इसलिये प्रार्थीगण का यह कथन नितांत असत्य है कि उन्हे पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। न्यायालय एस. डी.ओ. अन्ता के प्रकरण संख्या 146/2016 एवं प्रार्थना पत्र रिसीवर में तलबी के बाद प्रथम तारीख पेशी पर ही प्रार्थीगण ने न्याय प्राप्त होने में असमर्थता व्यक्त की है जो कि न्यायालय की अवमानना है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि पक्षकार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में विचाराधीन प्रकरण वाद संख्या 146/2016 एवं रिसीवर प्रार्थना पत्र बउनवान कैलाशीबाई वगैरह बनाम मुकुट बिहारी [illegible] सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में अन्तरित की जाती है। पक्षकारान [illegible] यालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में वास्ते सुनवाई दिनांक 12.10.2021 को उपस्थित [illegible]

निर्णय आज दिनांक 2[illegible].09.[illegible]1 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:13:20 IST
Reason: SelfAttested